न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 11/2024

01. पदमा पत्नी भीखाराम पुत्री गंगाराम जाति मेघवाल निवासी हांडला भाटीयान कोलायत हाल चक 3 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

......वादीया

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–03.05.24

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीया के पिता गंगाराम को चक 3 पीएचएम ए के मु0नं0 158/34 के किला नं0 1 ता 19 तादादी 19.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हुई पिता के फौत बाद विरासतन माता बालीदेवी पत्नी गंगाराम व वादीया के नाम 1/2 बहिस्सा बराबर दर्ज हुई और बाद में इन्तकाल सं0 257 से खाता विभाजन होकन वादीया को चक 3 पीएचएम ए के मु0नं0 258/34 के किला नं0 10 ता 19 तादादी 2.4026 हैक्टर नाम दर्ज हो गई उक्त भूमि पर लम्बे अरसे से वादीया विरासतन काबिज काश्त है तथा 15–16 वर्षो से ढ़ाणी व मकान बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रही है मौके पर सरसों की खेती कर रखी है। वादीया को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई और रिकॉर्ड में वादीया के नाम के पीछे पिता गंगाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है। आवंटन पट्टा, खातेदारी सनद, वारिसनामा, इन्तकाल आदि में दर्ज रहा है लेकिन वादीया के विवाह उपरान्त समस्त दस्तावेज यथा मूलनिवास, परिचयपत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, वोटरलिस्ट, जनआधार सब में पति का नाम पदमा पत्नी भीखाराम ही है और उसका प्रमाण वारिसनामा, सरपंच एवं मौजीज लोगो की ताईद है वादीया उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरस्ती अपने नाम पदमा पुत्री गंगाराम की जगह राजस्व रिकॉर्ड में पदमा पत्नी भीखाराम जाति मेघवाल साकिन हाडला भाटीयान कोलायत हाल चक 3 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है। वादीया की विरासतन खाता सं0 31 चक 3 पीएचएम ए मु0नं0 258/34 के किला नं0 10 ता 19 तादादी 2.4026 हैक्टर कमाण्ड भूमि के रिकॉर्ड में वादीया के पिता का नाम जो पदमा पुत्री गंगाराम दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादीया का दस्तावेजी नाम पदमा पत्नी भीखाराम जाति मेघवाल निवासी हांडला भाटीयान कोलायत हाल चक 3 पीएचएम तहसील खाजूवाला खातेदार दर्ज करने के आदेश करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादपत्र में जमाबंदी, आधारकार्ड, जनआधार, मतदाता परिचयपत्र, पेनकार्ड, राशनकार्ड, जॉबकार्ड, भामाशाहकार्ड, वोटरलिस्ट, खाता विभाजन इंतकाल की प्रति व सरपंच लेटरपेड इत्यादि प्रस्तुत की। सरपंच ग्राम पंचायत हाडलां भाटियान पं0सं0 कोलायत, बीकानेर ने प्रमाणित किया है कि पदमा पत्नी भीखाराम जाति मेघवाल ग्राम हाडलां ग्रा0पं0 हाडलां तहसील कोलायत जिला बीकानेर की है। पदमा के पिता का नाम गंगाराम है इनके दस्तावेज व राजस्व रिकॉर्ड में पिता की जगह पति भीखाराम का नाम दर्ज किया जाना उचित है। पदमा पुत्री गंगाराम व पदमा पत्नी भीखाराम है। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 3 पीएचएम ए के मु0नं0 158/34 के किला नं0 10 ता 19 में कुल 2.4026 है0 क0 कृषि भूमि पदमा पुत्री गंगाराम जाति मेघवाल निवासी कोलायत खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त खाते में वादीया अपने वर्तमान दस्तावेजों आधारकार्ड, निवास स्थान के अनुसार अपना नाम पदमा पुत्री गंगाराम के स्थान पर पदमा पत्नी भीखाराम जाति मेघवाल निवासी हाडलां भाटीयान कोलायत हाल चक 3 पीएचएम तहः खाजूवाला के नाम दर्ज संशोधन करवाना चाहती है। उक्त खाते में रिकॉर्ड अनुसार स्थगन आदि का नोट अंकित नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादीया के वादपत्र पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि चक 3 पीएचएम ए के मु0नं0 158/34 के किला नं0 10 ता 19 में कुल 2.4026 है0 क0 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम में दुरूस्त कर पदमा पुत्री गंगाराम की जगह पदमा पत्नी भीखाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीया का वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 3 पीएचएम ए के मु0नं0 158/34 के किला नं0 10 ता 19 में कुल 2.4026 है0 क0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम पदमा पुत्री गंगाराम की जगह पदमा पत्नी भीखाराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)